रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 335] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 28, 1993/आश्विन 6, 1915

No. 335] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 28, 1993/ASVINA 6, 1915

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1993

सा.का.नि. 633 (अ).—महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप धारा (1) के साथ पठित तथा धारा 124 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार कलकत्ता पत्तन न्याम के कर्मचारियों के लिए (चिकित्सा परिचर्या व उपचार) प्रथम संशोधन, 1993 जो मद्रास पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा तैयार किया गया है, का अनुमोदन करता है, जो अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में रखा गया है।

2. कथित विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

[सं. पी.आर.-12016/7/92-पी.ई. I]
अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी

(चिकित्सा परिचर्या व उपचार)

प्रथम संशोधन विनियम, 1993

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से कलकत्ता पत्तन न्यास का न्यासी मंडल कलकत्ता पत्तन न्यास के कर्मचारियों के लिए (चिकित्सा परिचर्या व उपचार) विनियम, 1989 में संशोधनार्थ निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. संक्षिप्त नाम :—

इन विनियमों को कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या व उपचार) प्रथम संशोधन विनियम, 1993 कहा जा सकेगा।

(i) सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से यह लागू हो जाएगी।

2. कलकत्ता पत्तन कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या व उपचार) विनियम, 1989 में :—

(i) (क) टिप्पणी 1 (ii)(ग) के नीचे विनियम 2 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

टिप्पणी :—शिक्षार्थी/प्रशिक्षणार्थी, परन्तु सुविधा केवल शिक्षार्थी/प्रशिक्षणार्थी को ही दिया जाएगा, परिवार को नहीं।

(ख) टिप्पणी 1(ii) (घ) के नीचे विनियम 2 में निम्नलिखित को जोडा जाएगा :—

टिप्पणी : —समिति के तहत यदि किसी दूसरे संगठन का कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हो, जब तक अन्यथा प्रतिनियुक्ति के नियमों के तहत संगठन में समा जाते हैं।

(ii) विनियम 3(ङ) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जा सकता है :—

"मुख्य चिकित्सा अधिकारी" से तात्पर्य समिति के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/हल्दिया पर समिति के अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/ इस सिलसिले में अन्य कोई प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी होगा।

(iii) विनियम 3(ज) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जा सकता है :—

"व्यक्तिगत चिकित्सक" से तात्पर्य ऐलोपैथी/आयुर्वेदिक/होम्योपैथी/ यूनानी तथा किसी अन्य देशी चिकित्सा प्रणाली के अन्तर्गत पंजीकृत मेडिकल प्रक्टिसनर से होगा।

(iv) विनियम 3(झ) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जा सकता है :—

"लोक अस्पताल" से तात्पर्य होगा कोई सरकारी अस्पताल या एक सरकारी सहायता प्राप्त अस्पताल या लोक सेवा उपक्रम का अस्पताल।

(v) (क) विनियम 3(ट) से शब्द समूह "उनके मन्त्रणा कक्ष में" और "या मन्त्रणा कक्ष" को हटाया जा सकता है।

(ख) विनियम 3(ट) के नीचे के टिप्पणी 1 और 2 को हटाया जा सकता है।

(ग) विनियम 3(ट) के नीचे के टिप्पणी 3 और 4 को दुबारा टिप्पणी 1 या 2 के रूप में नम्बर दिया जाए।

(vi) विनियम 3(ड) को निम्नलिखित द्वारा पूर्वनिश्चित करना होगा :—

"अस्पताल प्रभार" से तात्पर्य किसी कर्मचारी से अन्तरंग वार्ड में उसके चिकित्सा के लिए किसी लोक अस्पताल द्वारा लिया गया वास्तविक प्रभार होगा, जिसमें आवास प्रभार/नर्सिंग प्रभार/ परिचारिका शुल्क, चिकित्सक शुल्क/विशेषज्ञ शुल्क सहित ऑपरेशन प्रभार तथा विभिन्न चिकित्सा परीक्षणों, जीवन रक्षा उपकरणों का प्रभार तथा ऑक्सीजन, रक्त, सैलाइन या अन्य कोई ड्रिप, यदि आवश्यकता हो, का मूल्य शामिल होगा।

(vii) विनियम 3(ण) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"नर्सिंग होम प्रभार" से तात्पर्य किसी कर्मचारी से लिया गया वास्तविक प्रभार होगा, जिसमें आवास, चिकित्सक शुल्क/विशेषज्ञ शुल्क तथा नर्सिंग प्रभार/परिचारिका शुल्क, आपरेशन प्रभार तथा विभिन्न चिकित्सा परीक्षण तथा जीवन रक्षा उपकरणों का प्रभार तथा आवश्यकता पड़ने पर आक्सीजन, रक्त, सैलाईन या अन्य कोई ड्रिप, यदि आवश्यकता हो का मूल्य शामिल होगा।

(viii) (क) विनियम 4(i) के प्रथम अनुच्छेद के पहली पंक्ति में आए शब्द "या अन्य क्षेत्र" को हटाया जा सकता है।

(ii) उसी वाक्य में "चिकित्सा परिचर्या" शब्द के पश्चात् "तथा उपचार" शब्द को जोड़ा जा सकता है।

(iii) उसी विनियम के अनुच्छेद 2 में रु "10/-" को शब्द "रु. 30/-" से प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

(iv) विनियम 4 (ii) के अंत में निम्नलिखित वाक्यों को जोड़ा जा सकता है—"विनियम 11 के तहत सीमाओं के भीतर रहते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाने पर चिकित्सा खर्च तथा चिकित्सा परीक्षण खर्च वापस किया जाएगा। दवाओं का खर्च पूरा वापस किया जाएगा"।

विनियम 4 (ii) के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी को समाविष्ट किया जा सकता है।

टिप्पणी : क्योंकि हल्दिया गोदी परिसर में समिति के क्वार्टरों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए बाहरी चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं है, तो आपात मामलों में व्यक्तिगत चिकित्सकों को बुलाया जा सकता है, परन्तु चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार पर होने वाले खर्च को इस शर्त पर वापस किया जाएगा जब मामले को यथा संभव शीघ्र ही हल्दिया गोदी परिसर के समिति के अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक को सूचित किया गया हो, पर यह व्यक्तिगत चिकित्सक को बुलाने के समय से 48 घंटे के बाद नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत चिकित्सक के शुल्क का आधा, जो रु 30/- प्रतिदिन से अधिक न हो या ऐसी, जो समय-समय पर समिति द्वारा स्वीकृत हो, हल्दिया गोदी परिसर के पत्तन अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक के प्रमाणन पर, समिति द्वारा वापस किया जाएगा। विनियम 11 के तहत सीमाओं के भीतर रहते हुए प्रभारी चिकित्सक, पत्तन अस्पताल, हल्दिया गोदी परिसर द्वारा प्रमाणित किए जाने पर चिकित्सा खर्च तथा चिकित्सा परीक्षण खर्च वापस किया जाएगा। दवाओं का खर्च पूरा वापस किया जाएगा।

(ix) विनियम 4(iii) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

ऐसा कर्मचारी, जो कलकत्ता या हल्दिया में समिति के आवास में नहीं रहते हों, उप विनियम (ii) के संदर्भ के अंतर्गत, यदि बीमारी इतनी कठिन हो कि रोगी समिति के अस्पताल या दवाखाने में जाने में असमर्थ हों तो अपने चुनाव के व्यक्तिगत चिकित्सक द्वारा चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार अपने निवास में करवा सकता है। बीमारी की गंभीरता के मामले में यदि कोई संदेह हो तो पत्तन अस्पताल के हल्दिया गोदी परिसर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी का निर्णय ही अंतिम होगा। ऐसे मामलों में व्यक्तिगत चिकित्सक के शुल्क का आधा जो रु. 30/- प्रतिदिन से अधिक न हो या बोर्ड द्वारा समय-समय पर पुनर्निर्धारित दर से पत्तन अस्पताल, हल्दिया गोदी परिसर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के प्रमाणन पर समिति द्वारा वापस किया जाएगा। विनियम 11 के अंतर्गत सीमाओं के भीतर रहते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पत्तन अस्पताल, हल्दिया गोदी परिसर द्वारा प्रमाणित किए जाने पर चिकित्सा खर्च तथा चिकित्सा परीक्षण खर्च वापस किया जाएगा। दवाओं का खर्च पूरा वापस किया जाएगा।

(x) विनियम 5(i) के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी को समाविष्ट किया जा सकता है :—

टिप्पणी :— जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित किए जाने पर चिकित्सा तथा चिकित्सा के लिए किए परीक्षणों का खर्च वापस देय होगा। जो विनियम 11 के अन्तर्गत उसके भीतर ही हो। दवाओं की पूरी कीमत वापस की जाएगी।

(11) (क) विनियम 5 (ii) को निकाला जा सकता है।

(ख) विनियम 5 (iii) को निकाला जा सकता है।

(ग) विनियम 5 (iv) को 5 के रूप में पूर्ण नम्बर किया जा सकता है।

(12) विनियम 6 (2) को निम्नलिखित से विस्थापित किया जा सकता है :—

जब एक कर्मचारी सरकारी दौरे पर या अवकाश यात्रा अनुदान पर अवकाश पर हों तो वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाने पर विनियम 11 के अन्तर्गत निर्देशित सीमाओं के अनुसार किसी नर्सिंग होम/निजी चिकित्सालय में करवाए गए चिकित्सा खर्च, जिसमें चिकित्सा संबंधी परीक्षण शामिल हो, का हकदार होगा। ऐसे मामलों में दवाओं का पूरा खर्च वापस किया जाएगा। यदि कर्मचारी किसी लोक अस्पताल में दाखिल हो उपचार हेतु किए गए सभी चिकित्सा खर्च का पूर्ण भुगतान होगा।

(13) विनियम 7 को निम्नलिखित से विस्थापित किया जा सकता है :—

नर्सिंग होम/पेईंग बिस्तर या लोक अस्पताल में एक केबिन में भर्ती—निम्नलिखित मामलों में एक कर्मचारी किसी नर्सिंग होम या एक पेईंग बिस्तर या लोक अस्पताल में एक केबिन में दाखिल हो सकता है :—

(क) समिति के अस्पताल में सुविधाओं की कमी को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जहां किसी कर्मचारी को किसी नर्सिंग होम या किसी पेईंग बिस्तरे या लोक अस्पताल मे किसी केबिन में भर्ती किए जाने की पहल की गई हो।

(ख) जब चिकित्सा अधिकारी के पूर्व अनुमति के आधार पर कर्मचारी द्वारा स्वंय या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा ऐसी भर्ती के लिए पहल की गई हो।

(ग) यदि ऐसी भर्ती के लिए किसी आपात स्थिति में कर्मचारी द्वारा या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा ऐसी पहल की गई हो और बाद मे मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित करे कि इस प्रकार की भर्ती रोगी के जीवन बचाने के लिए आवश्यक थी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाने पर विनियम 11 के तहत सीमाओं के भीतर ऐसे मामलों में चिकित्सा संबंधी परीक्षणों सहित उपचार का खर्च वापस किया जाएगा। दवाओं की पूरी मूल्य वापस की जाएगी।

(14) विनियम 10 में निम्नलिखित रूप में विनियम 10(घ) समाविष्ट की जाएगी।

मामले की स्थिति तथा योग्यता के आधार पर अध्यक्ष द्वारा कर्मचारी के साथ रहने वाले परिवार की स्थिति में छूट दी जा सकती है।

(15) विनियम 11 (क) को निम्नलिखित द्वारा विस्थापित किया जाएगा :—

मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर समिति के चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ द्वारा बताए गए सभी दवाओं, जिसमें सैलाइन या किसी किस्म का ड्रिप, रक्त, आक्सीजन शामिल हो तथा अन्य जीवन रक्षा उपकरण जिसमें पेसमेकर, पल्स जेनरेटर शामिल है, समिति द्वारा निःशुल्क दी जाएगी। परन्तु ऐसी कोई मद जिसे समिति द्वारा नहीं दी गई हो तथा जो विनियम 4 के उप विनियम II तथा III के अन्तर्गत व्यक्तिगत चिकित्सक द्वारा निर्देशित की गई हो या जब रोगी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुमोदन पर नर्सिंग होम या किसी लोक अस्पताल प्राधिकारी में भर्ती किया गया हो, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाण किए जाने पर, मूल्य इस शर्त के साथ वापस किया जाएगा, कि समिति जीवन रक्षा उपकरणों का (2/3) दो तिहाई मूल्य वापस करेगा। शरीर के विकलांग हो जाने की स्थिति में उपकरणों के मूल्य को समिति द्वारा वापस नहीं किया जाएगा। ऊपर बताए गए किसी भी मामले में किसी प्रकार का संदेह, विवाद या विचारों की भिन्नता की स्थितियों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के राय को अंतिम माना जाएगा।

(16) विनियम 11 (ख) में आए शब्द "रु. 10/–" को "रु. 30" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(17) विनियम 11 (ग) (क) में आए शब्द "एक सरकारी अस्पताल या सरकार से सहायता प्राप्त अस्पताल" के शब्द "एक लोक अस्पताल" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(18) विनियम 11 (ग) (ख) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

(i) नर्सिंग होम प्रभार को पूरा ही वापस किया जाएगा यदि कलकत्ता पत्तन न्यास अस्पताल मे ऐसी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध न हो या फिर मामला इतना अधिक आपातकालीन हो कि रोगी को कलकत्ता पत्तन न्यास अस्पताल में ले जाने पर उसके प्राणों को खतरा हो सकता था। यदि कोई कर्मचारी ड्यूटी के दौरान घायल हुआ हो तो ऐसे मामलों में पूरा खर्च वापस किया जाएगा। इन सभी मामलों में खर्च मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाने पर ही किया जाएगा।

(ii) अन्य योग्य पाए जाने वाले मामलों में नर्सिंग होम प्रभार की वापसी निम्नलिखित रूप से की जाएगी :—

(1) आवास प्रभार प्रति दिन रु. 150/– तक के लिए पूरा और प्रति दिन रु. 150/– की राशि से अधिक होने पर अधिक राशि का दो तिहाई।

(2) बाहर से खरीदे हुए दवाओं सहित नर्सिंग होम द्वारा दिए गए दवाओं का मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाने पर पूरा भुगतान होगा।

(3) आपरेशन खर्च — कुल खर्च का दो तिहाई।

(4) आपरेशन थियेटर प्रभार — पूरा खर्च।

(5) चिकित्सा परीक्षण प्रभार (कार्डियाक कैथेटेराईजेशन का व्यवसायिक शुल्क सहित) पूरा खर्च।

(6) जीवन रक्षा उपकरण खर्च — कुल खर्च का दो तिहाई।

(7) चिकित्सक शुल्क/विशेषज्ञ शुल्क — जैसे विनियम 11 (ख) तथा 11 (ग) (ग) के अन्तर्गत प्रयोज्य।

(8) नर्सिंग प्रभार/परिचारिका शुल्क — जैसे विनियम 11 (ग) (घ) के अन्तर्गत प्रभार प्रयोज्य।

(9) रक्त, सैलाईन या अन्य ड्रिप—जैसे विनियम 11 (क) के अन्तर्गत प्रयोज्य।

(19) विनियम 11 (ग) (ग) को निम्नलिखित स विस्थापित किया जाएगा :—

विशेषज्ञ शुल्क अधिकतम सीमा रु. 150 प्रति मुलाकात। ड्यूटी पर घायल होने की स्थिति में सम्पूर्ण भुगतान।

(20) विनियम 11 (क) (घ) में शब्द "रु. 20 प्रति पाली" "रु. 10 प्रति पाली" तथा "एक सप्ताह" शब्द को क्रमश: "रु. 30 प्रति पाली" "रु. 15 प्रति पाली" तथा "दो सप्ताह" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(21) विनियम 11 (ग) (ङ) को निम्नलिखित से विस्थापित किया जाएगा :—

बाहर के चिकित्सकों तथा संस्थानों से करवाए गए चिकित्सा परीक्षणों की प्रभार मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा "प्रमाणन किए जाने पर" वापस दिया जाएगा।

(22) विनियम 11(ई) को हटा दिया जाएगा।

विनियम 11 के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी को जोड़ा जा सकता है :—

गम्भीर बीमारियों जैसे कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, बाई-पास सर्जरी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, उच्च मायोपिया मामले में आपरेशन द्वारा सुधार' इत्यादि के मामलों में, जिसमें अधिक व्यय होता है, ऐसी स्थिति में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुमानित व्यय का दो तिहाई, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की अनुमति से, अग्रिम दिया जाएगा। इस अग्रिम राशि को भुगतान के लिए की गई मांग के विरोध में व्यवस्थित किया जाएगा जिसे चिकित्सा समाप्ति के बाद एक महीने के भीतर ही जमा देना होगा, अन्यथा दिए गए अग्रिम राशि को अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा निश्चित किए गए उचित किश्तों में वसूल कर लिया जाएगा।

(24) विनियम 14 के नीचे वाले टिप्पणी में निम्न सुधार किया जाएगा :—

किसी कर्मचारी या उस पर निर्भर किसी पारिवारिक सदस्य की यदि समिति के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा की जाए, तो ऐसी स्थिति में चिकित्सा खर्च के भुगतान की मांग को उनके अनुभाग अधिकारी के पास संबंधित कर्मचारी द्वारा निर्धारित फार्म में समर्थक नुस्खा तथा अन्य वाउचर सहित उनके अनुभाग अधिकारी के पास जमा किया जाएगा। अनुभाग में रखे गए चिकित्सा बिल रजिस्टर में संबंधित विवरणों को अंकित करने के बाद संबंधित अधिकारी उस मांग को समर्थक दस्तावेजों सहित वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के पास अग्रेषित कर देंगे, जो आवश्यक कार्रवाई के पश्चात् कर्मचारी को भुगतान करने की व्यवस्था करेंगे। इस विनियम की दृष्टि से, जहां तक हल्दिया गोदी परिसर का संबंध है, "वित्त सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी" का तात्पर्य प्रबंधक (वित्त) से होगा।

(25) (क) विनियम 15 (i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

हल्दिया में कार्यरत कर्मचारी या जिन कर्मचारियों के दो बच्चे हों, उनको छोड़कर शिशु का जन्म या सीधे ही गर्भावस्था या शिशु जन्म की स्थिति उत्पन्न करने में योगदान करती हो।

(ख) विनियम 15 (iv) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

पृथक्करण की आवश्यकता रखने वाली अत्यधिक संक्रामक बीमारियां जैसे—हैजा, चेचक, प्लेग, टिटैनस, रेबीस, तीव्र ऐंटीरियर पोलीमायलिटिस तथा डिप्थीरिया के मामलों की चिकित्सा तभी की जाएगी जब लोक अस्पताल में संबंधित वार्ड में भर्ती की व्यवस्था न की जा सके।

(ग) विनियम 15 (v) को हटा दिया जाएगा।

(घ) विनियम 15 के नीचे टिप्पणी (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

टिप्पणी 1—कर्मचारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट औषधालयों तथा बोर्ड अस्पताल में, क्षय रोग की चिकित्सा करा सकते हैं तथा वे के. एस. राय अस्पताल, क्षय रोग रिलीफ एसोसियेशन या अन्य किसी संस्थान की अंतरंग चिकित्सा प्रावधानों का उपयोग कर सकते हैं, जहां समिति द्वारा कई बिस्तरों का रख-रखाव किया जाता है।

योग्य निर्भरशील पारिवारिक सदस्य को क्षय रोग के लिए साधारणतया कलकत्ता पत्तन न्यास के अस्पताल (बहिरंग) तथा गोदी पत्तन चेस्ट क्लिनिक (बहिरंग) में चिकित्सा प्रदान की जाती है। परन्तु मुख्य चिकित्सा अधिकारी मामलों को सरकारी संस्थानों/अस्पतालों/क्लिनिकों में भी चिकित्सा के लिए भेज सकते हैं।

(26) (क) विनियम 15 (3) को हटाया जा सकता है।

(ख) विनियम 15 (3) के नीचे की टिप्पणी को हटाया जा सकता है।

(27) विनियम 17 के प्रथम अनुच्छेद को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जा सकता है :—

विधि—अधिनियम 16 के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाओं की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को उनके संबंधित विभागाध्यक्षों/मंडल अध्यक्षों, जहां वे सेवा निवृत्ति/सेवा निवृत्ति में जाने से पहले तैयारी अवकाश में जाने से पहले कार्यरत थे, के माध्यम से अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को आवेदन करना होगा।

टिप्पणी : कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या व उपचार) विनियम 1989 को सरकार द्वारा 9 जून, 1989 को जी एस आर 610(ई) के तहत स्वीकृति दी गई थी तथा उसे 9 जून, 1989 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 1993

G.S.R. 633(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 124, read with sub-section (i) of section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Calcutta Port Trust Employees (Medical Attendance & Treatment) 1st Amendment, Regulations, 1993 made by the Board of Trustees for the Port of Madras and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the official Gazette.

[No. PR-12016|7|92-PE.I]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

CALCUTTA PORT TRUST EMPLOYEES'

(Medical Attendance & Treatment)

1st Amendment Regulations, 1993

In exercise of the powers conferred by Section 28 of Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and with the sanction of Central Government under Sub-section (I) of Section 124 of that Act, the Board of Trustees for the Port of Calcutta hereby makes the following Regulations to amend the Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance & Treament) Regulations, 1989.

1. Short Title : These Regulations may be called the Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance & Treatment) 1st Amendment Regulations, 1993.

(i) This will come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance & Treatment) Regulations, 1989 :—

(i)(a) Note 1(ii)(c) below Regulation 2 may be substituted by the following :—

Note : Apprentices|Trainees, but the coverage will be available only to the Apprentices|Trainees and not to the family.

(b) Note 1(ii)(d) below Regulation 2 may be added as follows :—

Note : An employee of other organisation while on deputation under the Board unless otherwise contained in the terms of deputation.

(ii) Regulation 3(c) may be substituted by the following :—

"Chief Medical Officer" shall mean the Board's Chief Medical Officer|Medical Officer-in-charge of Board's Hospital at Haldia|any other Medical Officer authorised in this behalf.

(ii) Regulations 3(e) may be substituted by the following :—

"Private Doctor" shall mean a registered medical practitioner in the Allopathic|Ayurvedic|Homoeopathic|Unani and any other indigenous systems of medicine.

(iv) Regulation 3(i) shall be substituted by the following :—

"Public Hospital" shall mean a Govt. Hospital or a Govt. aided Hospital or Hospital of Public Sector Undertaking.

(v) (a) In Regulation 3(j) the words "in his consulting room or" and "or consulting room" may be deleted.

(b) Notes 1 & 2 below Regulation 3(j) shall be deleted.

(c) Note 3 and Note 4 below Regulation 3(j) shall be renumbered as Note 1 and Note 2 respectively.

(vi) Regulation 3(m) shall be replaced by the following :—

"Hospital Charges" shall mean the actual amount of charges realised by a Public Hospital from an employee for treatment in the in-patient ward including accommodation charge|nursing charges|attendance fees, Doctor's fees|Specialist's fees and nursing charges|attendant and charges for various medical investigations, cost of life saving appliances, cost of oxygen, blood, saline or other drips as may be necessary.

(vii) Regulation 3(n) shall be substituted by the following :—

"Nursing Home Charges" shall mean the actual amount of charges realised by the Nursing Home from an employee for accommodation, Doctor's fees|Specialist's fees and nursing charges|attendant fees, operation charges, charges for various medical investigations, cost of life saving appliances and cost of oxygen, blood, saline or other drips as may be necessary.

(viii) (a)(i) The words "or other areas" appearing in the first sentence of first para of Regulation 4(ii) may be deleted.

(ii) The words "and treatment" may be added after "Medical Attendance" of the same sentence.

(iii) The word "Rs. 30" may be substituted for "Rs. 10" in para 2 of the same Regulation.

(iv) At the end of Regulation 4(ii), the following sentences may be added :—

"Cost of treatment including the cost of medical investigations will be reimbursed subject to the ceilings under Regulation 11 on certification by the Chief Medical Officer. Cost of medicines shall be reimbursed in full."

(b) The following Note below regulation 4(ii) may be incorporated :—

Note : Since external medical service does not exist at Haldia Dock Complex for employees living in Board's quarters in emergency cases a private doctor may be called in, but the reimbursement

of expenditure incurred for medical attendance and treatment shall be subject to the condition that the case has been reported to the Medical Officer-in-Charge of Board's Hospital at Haldia Dock Complex at the earliest possible opportunity and in any case not later than 48 hours from the time the private doctor has been called in. Half the fee of the private doctor subject to a maximum of Rs. 30 per day or such amount as may be sanctioned by the Board from time to time shall, on certification by the Medical Officer-in-Charge, Port Hospital, Haldia Dock Complex be reimbursed by the Board. Cost of treatment including the cost of medical investigations will be reimbursed subject to the ceilings under Regulation 11 on certification by the Medical Officer-in-Charge, Port Hospital, Haldia Dock Complex. Cost of medicines shall be reimbursed in full.

(ix) Regulation 4(iii) may be substituted by the following :—

"Employees not living in the Board's quarters, either at Calcutta or at Haldia, as referred in sub-regulation (ii) above shall be entitled to receive medical attendance and treatment at their residence from the private doctor of their choice if the illness is so severe that the patient cannot go to any of Board's Hospitals or Dispensaries. In case of any doubt as regards severity of the illness, the decision of the Chief Medical Officer|Medical Officer in Charge, Port Hospital, Haldia Dock Complex shall be final. In such cases half the fee of a private doctor subject to a maximum of Rs. 30 per day or as may be revised from time to time by the Board shall, on certification by the Chief Medical Officer|Medical-Officer-in-Charge, Port Hospital, Haldia Dock Complex, be reimbursed by the Board. Cost of treatment including the cost of medical investigations will be reimbursed subject to the ceilings under Regulation 11 on certification by the Chief Medical Officer|Medical-Officer-in-Charge, Port Hospital, Haldia Dock Complex. Cost of medicines shall be reimbursed in full".

(x) The following Note below Regulation 5(i) may be incorporated :—

Note : Where Specialist Doctor's services are not available, on certification from the Chief Medical Officer reimbursemest of the cost of treatment and that of medical investigations will be admissible subject to the ceilings under Regulation 11. The cost of medicines will be reimbursed in full.

(xi) (a) Regulation 5(ii) may be deleted.

(b) Regulation 5(iii) may be deleted.

(c) Regulation 5(iv) may be renumbered as 5(ii).

(xii) Regulation 6(2) shall be substituted by the following :—

"An employee while on official tour or while on leave for availing of Leave Travel Concession shall be entitled to reimbursement of expenses for treatment in a Nursing Home|Private Hospital including the cost of medical investigations subject to the limits as laid down under Regulation 11 and on certification by the Chief Medical Officer. The cost of medicines in such cases shall be reimbursed in full. If the employee is admitted to a Public Hospital, reimbursement of medical expenses for treatment shall also be made in full".

(xiii) Regulation 7 may be substituted by the following :—

Admission to a Nursing Home|Paying Bed or a Cabin in a Public Hospital—An employee may be admitted to a Nursing Home or a Paying Bed or a Cabin in Public Hospital in following cases :—

(a) Where the admission of an employee into a Nursing Home or into paying bed or a Cabin in a Public Hospital is initiated by the Chief Medical Officer in view of lack of adequate facilities in Board's Hospitals.

(b) Where such admission is initiated by the employee himself or his family members but with the prior approval of the Chief Medical Officer.

(c) Where such admission is initiated by the employee or his family members in an emergency and the Chief Medical Officer subsequently certifies that such admission was necessary is order to save the life of the patient.

The cost of treatment including that of medical investigations in such cases shall be reimbursed subject to the ceilings laid down under Regulation 11 and on certification by the Chief Medical Officer. The cost of medicines shall be reimbursed in full.

(xiv) Regulation 10(d) shall be incorporated in the Regulation 10 as follows :—

The condition of the family of the employee residing with him|her may be relaxed by the Chairman depending on the merit and circumstances of the case.

(xv) Regulation 11(A) shall be substituted by the following :—

All medicines including saline or any kind of drip, blood, oxygen and life saving appliances including pace-maker, pulse generator prescribed by the Board's Medical Officer or by Specialists consulted on the advice of the Chief Medical Officer, shall be supplied free of cost by the Board. But any such item not supplied by the Board and prescribed by a private Doctor under Sub-regulation (ii) & (iii) of Regulation 4 and by the Nursing Home or the Public Hospital authorities, where patient has been admitted with the approval of the Chief Medical Officer, may be purchased and the Board shall, on certification by the Chief Medical Officer, reimburse the cost provided that the Board shall reimburse 2|3rd of the cost of life saving appliances. Cost of appliances in respect of deformity of the body shall not be reimbursed by the Board. In case of doubts, disputes or difference of opinion arising in respect of any of the above matters, the opinion by the Chief Medical Officer shall be final.

(xvi) The words "Rs. 30" may be substituted for "Rs. 10" appearing in Regulation 11(B).

(xvii) The words "a Government Hospital or a Goversment aided Hospital" appearing in Regulation 11(C)(a) shall be replaced by the words "a Public Hospital".

(xviii) Regulation 11(C)(b) shall be substituted by the following :—

(i) Reimbursement of Nursing Home charges would be made in full is cases where there is no facility for such treatment in CPT Hospital and|or cases are of so emergent nature that shifting of the patient to CPT Hospital may endanger the life of the patient. Full reimbursement will also be allowed in case of an employee injured on duty. In all these cases reimbursement will made on the certification by the Chief Medical Officer.

(ii) In other eligible cases the reimbursement of Nursing Home charges would be made as shown below :—

(1) Accommodation charge—Upto Rs. 150 per day in full and for amount exceeding Rs. 150 per day, 2|3rd of the excess amount.

(2) Cost of medicines supplied by the Nursing Home including those purchased from outside—Full reimbursement as per certification by the Chief Medical Officer.

(3) Operation cost—2|3rd of the total cost.

(4) Operation Theatre Charge—Full cost.

(5) Medical investigation charge (including professional fees for Cardiac Catheterisation)—Full cost.

(6) Cost of life saving appliances—2|3rd of the total cost.

(7) Doctor's fees|Specialist's fees—As admissible under Regulations 11(B) and 11(C)(c).

(8) Nursing charges|Attendant's fees—As admissible under Regulation 11(C)(d).

(9) Cost of Blood, Saline or other drips—As admissible Regulation 11(A).

(xix) Regulation 11(C)(c) may be substituted by the following Specialist's fees subject to a ceiling of Rs. 150 per visit. In case of injury on duty, Specialist's fees shall be reimbursed in full.

(xx) The words "Rs. 20 per shift", "Rs. 10 per shift" and "one week" in Regulation 11(C)(d) shall be substituted by the words "Rs. 30 per shift", "Rs. 15 per shift" and "two weeks" respectively.

(xxi) Regulation 11(C)(e) shall be substituted by the following :—

Charges for medical investigations carried out by the outside Doctors and Institution shall be reimbursed on the certification by the Chief Medical Officer.

(xxii) Regulation 11(E) shall be deleted.

(xxiii) The following Note may be added below Regulation 11 :—

For treatment of the employees in cases of serious diseases like Cadaver kidney transplant, by-pass surgery, bone-marrow transplant, operative correction of high myopia cases, etc., which involve substantial expenditure, advance upto 2|3rd of the expenditure as estimated by the Chief Medical Officer may

be granted with the approval of the Chairman|Deputy Chairman. The advance so granted will be adjusted against the claim for reimbursement, which has to be submitted within one month after the treatment is over, failing which the advance will be recovered in suitable instalments as may be decided by the Chairman|Deputy Chairman.

(xxiv) Note below Regulation 14 shall be modified as follows :—

In the case of treatment of an employee or his dependant family members by Board's Medical Officer, claims for reimbursement of medical expenses will be submitted by the concerned employee in the prescribed form to his Sectional Officer with supporting prescriptions and vouchers, etc. After recording the relevant details in the Medical Bill Register maintained in the section, the concerned officer will forward the claim along with supporting documents to the Financial Adviser & Chief Accounts Officer with supporting prescriptions and the employee after necessary processing. For the purpose of this Regulation, "Financial Adviser & Chief Accounts Officer" shall mean the Manager (Finance) so far as Haldia Dock Complex is concerned.

(xxv) (a) Regulation 5(i) shall be substituted by the following :—

Child birth and conditions arising out of or directly attributable to pregancy and child birth, excepting for the employees posted at Haldia and having upto two children.

(b) Regulation 15(iv) may be substituted by the following :—

Acute infectious diseases requiring segregation viz., Cholera, Small Pox, Plague, Tetanus, Rabies, Acute Anterior Polyomylities and cases of Diptheria may be treated only if hospitalisation in the relevant words of any of the Public Hospitals cannot be arranged.

(c) Regulation 15(v) may be deleted.

(d) Note (1) below Regulation 15 may be substituted by the following :—

Note 1—The employees are entitled to anti-tuberculosis treatment at Board's Hospital and Dispensaries as earmarked by the Chief Medical Officer and they may also avail of provisions of indoor treatment at K.S. Roy Hospital, Tuberculosis Relief Association or at any other Institution where a number of beds are being maintained by the Board.

For the eligible dependant family members, anti-tuberculosis treatment is normally provided at CPT Hospital (Outdoor) and Dock Hospital Chest Clinic (Outdoor). But the Chief Medical Officer may also refer those cases to Government Institutions|Hospitals| Clinics for treatment.

(xxvi) (a) Regulation 15(3) may be deleted.

(b) Note below Regulation 15(3) may be deleted.

(xxvii) 1st Para of Regulation 17 may be substituted by the following :—

Procedure—The persons opting for medical facilities under Regulation 16 shall apply to the Chairman|Deputy Chairman through their respective Heads of Departments|Heads of Divisions in which they were employed before retirement|before they proceeded on leave preparatory to retirement.

Note : The Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance and Treatment) Regulations, 1989 were sanctioned by the Government vide G.S.R. 610(E) dated the 9th June, 1989 and published in the Gazette of India (Extra-ordinary) dated the 9th June, 1989.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993